

कार्यालय जिला कलक्टर भीलवाडा

क्रमांक: न्यायालय/न्यायशुल्क रिफण्ड/2020/


6534

दिनांक- 30-01.2020

:: आदेश ::


वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 में लोक अदालत में निर्णय पारित करते हुए यह आदेश दिया है कि वादी एम.एस.टैक्स ट्रेड गांधी नगर, डाक बंगला रोड भीलवाडा प्रो. राकेश काबरा पिता अम्बालाल काबरा निवासी ऑफिस राधे राधे कॉम्पलेक्स प्रथम मंजिल डाक बंगला रोड गांधीनगर, भीलवाडा धारा 65(ख) कोर्ट फीस एक्ट के तहत कोर्ट फीस वापस प्राप्त करने के अधिकारी हैं और आदेशानुसार प्रकरण में 18,025/- अक्षरे अठारह हजार पच्चीस रुपये मात्र न्याय शुल्क लौटाये जाने का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है मूल स्टाम्प वाद के साथ उक्त न्यायालय में है।

अतः न्यायालय आदेशानुसार वादी एम.एस.टैक्स ट्रेड गांधी नगर, डाक बंगला रोड भीलवाडा प्रो. राकेश काबरा पिता अम्बालाल काबरा निवासी ऑफिस राधे राधे कॉम्पलेक्स प्रथम मंजिल डाक बंगला रोड गांधीनगर, भीलवाडा को 18,025/- अक्षरे अठारह हजार पच्चीस रुपये मद 0030 में वापिस करने (रिफण्ड) की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।


जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रतिलिपि :-

- 1 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश भीलवाडा को उनके प्रमाण पत्र क्रमांक 08 दिनांक 06.01.2020 संदर्भ में सूचनार्थ।
- 2 प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि वादी को उपरोक्तानुसार राशि का भुगतान करने की कार्यवाही करें एवं संलग्न प्रपत्र पार्ट तृतीय की पूर्ति की जाकर सम्बन्धित न्यायालय में भिजावें।
- 3 कोषाधिकारी भीलवाडा को प्रेषित कर लेख हैं कि वादी द्वारा स्टाम्प की जमा राशि के चालान की प्रति चाहे जाने पर उपलब्ध करावें।
4. वादी एम.एस.टैक्स ट्रेड गांधी नगर, डाक बंगला रोड भीलवाडा प्रो. राकेश काबरा पिता अम्बालाल काबरा निवासी ऑफिस राधे राधे कॉम्पलेक्स प्रथम मंजिल डाक बंगला रोड गांधीनगर, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि जमा राशी चालान की फोटोप्रति, बैंक खाता नम्बर, पैन नम्बर, आधार नम्बर की फोटोप्रति एवं मोबाईल नं. लेखा शाखा में प्रस्तुत करें।


प्रभारी अधिकारी
न्यायालय अनुभाग